संख्या- 16/2022/ 771/12-3-2022-100(60)/2013-TC

प्रेषक

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: 17.07.2022**

विषय:- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयलसीड्स) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ति0/279/लेखा-1/2022-23 दिनांक 06.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान सं0-11 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयलसीड् एवं टी0बी0ओं0) योजना हेतु वर्ष 2021-22 के अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 14.33 लाख एवं संगत राज्यांश की धनराशि रू0 9.55 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 23.88 लाख़ की स्वीकृति कोषागार से आहरित कर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयलसीड् एवं टी0बी0ओं0) योजना के सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के पीएफएमएस हेतु बचत खाता सं0-4483000100061876 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में हस्तांतरित करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	ब्यौरेवार शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2022-23	स्वीकृति धनराशि
अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-114-तिलहन विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ0एस0/टी0बी0ओ0) (के.60/रा.40-के.+रा.) - सामान्य कार्यक्रम	04-यात्रा व्यय	6.00	0.50
	08-कार्यालय व्यय	12.00	3.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.60	1.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.40	0.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.00
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	1.50
	27-सब्सिडी	1020.00	5.13
	42-अन्य व्यय	45.00	0.00
	44-प्रशिक्षण एंव अन्य प्रासंगिक व्यय	180.00	0.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.60	1.20
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.60	2.00
	योग-	**1282.80**	**14.33**
अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2401 फसल कृषि कर्म-114 तिलहन विकास-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8901- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ0एस0/टी0बी0ओ0)	04-यात्रा व्यय	4.00	0.33
	08-कार्यालय व्यय	8.00	2.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.40	0.67
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.60	0.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.40	0.00
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	1.00
	27-सब्सिडी	680.00	3.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	42-अन्य व्यय	30.00	0.00
	44-प्रशिक्षण एंव अन्य प्रासंगिक व्यय	120.00	0.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का कार्य	0.80	0.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.40	0.80
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.40	1.33
	योग-	**856.00**	**9.55**
	महोयोग	**2138.8**	**23.88**

(रू0 तेइस लाख अटठासी हजार मात्र)

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता / केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने तथा प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 15.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्हीं परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियां से द्विरावृति न हो।

3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना से आच्छादित पुनर्वैधध्अवमुक्त केन्द्रांश राज्य के समेकित निधि में जमा है। स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति कृषि निदेशक द्वारा आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जाएगा और तद्नुसार यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित करा लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार कोषागार से आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंन्सियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

5. प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं.-9/1/35-आ-2/2014-33 दिनांक 09.12.2015 द्वारा नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एण्ड आयल पाम योजना को जिला योजना में सम्मिलित करते हुए जनपदवार परिव्यय निर्धारित किया गया तथा राज्य योजना आयोग-2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुमोदित जिला योजनाओं के आधार पर निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-अ.शा.प.सं.-9/4/35-आ-2/2017-27, दिनांक 31.10.2018 तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

6 निर्गत वित्तीय स्वीकृति को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाये तथा यह भी यह भी स्पष्ट करा लिया जाये कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। कृषि निदेशक द्वारा सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करके फैजिंग के अनुसार किया जाये तथा कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेण्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी.-1-746/दस- 2016-231/2016 दिनां0क 22.03.2016 के प्रस्तर-5 में यह निर्देश दिया गया है कि जिला योजनाओं की स्वीकृतियां सीधे जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जाएं तथा उनकी प्रतियां संबंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जाए। इस संबंघ में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अत: उपरोक्त योजना हेतु संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें। जनपद स्तर पर निर्गत वितीय स्वीकृतियों के आदेश की प्रति नियोजन विभाग, वित्त विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जाय।

8. उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना (ऑयलसीड्स)/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन एवं अन्य संगत नियमों /भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय। \

9. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

10. स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (standards of financial propriety) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11. वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थियों के खाते में सीधे credit किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

12. उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित किया जाय, जो मद भारत सरकार द्वारा अनुमोदित न हो, उस पर किसी भी दशा में व्यय न किया जाय तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार/शासन को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करेंगे एवं कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कार्ययोजना में उल्लिखित मदों हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

13- जनपदवार/योजनावार परिव्यय की फांट के आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगा। जिला योजनाओं में अपरिहार्य संशोधन के उपरान्त निर्धारित योजनावार परिव्यय पर जनपद स्तर पर जिला योजना समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वित्त विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए जेम पोर्टल द्वारा किया जायेगा तथा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है और न ही किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- जिन योजनाओं में बजट प्राविधान से कम परिव्यय जिला योजनाओं के आधार पर उभर कर आया है, वहाँ उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक व्यय किया जाए और शेष बजट प्राविधान की सीमा तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (जो जिला योजना समिति का पदेन संयुक्त सचिव हैं) द्वारा जिला योजना समिति से पुनर्विनियोग के माध्यम से परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

16- जिन योजनाओं में बजट से अधिक परिव्यय उभर कर आया है, उनमें बजट प्राविधान की सीमा तक परिव्यय का उपयोग किया जायेगा और आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृतियां जारी किये जाने के विकल्प पर विचार करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

17- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी0-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के निर्देशों/प्राविधानों तथा अन्य संगत नियमों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान सं0/लेखाशीर्षक/मानक मदों के नामें डाले जायेगा।

19- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यू0ओ0 सं0-E-1-62-X-2022-23 दिनांक-16-07-2022 दिनांक द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-771(1)/12-3-2022-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव,भारत सरकार,कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. कृषि निदेशक,कृषि भवन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संबंधित जिला कृषि अधिकारी द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रसार) नियोजन,दलहन मक्का कृषि भवन, लखनऊं।
9. अपर कृषि निदेशक (तिलहन) उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/वित्त (ई)-1/कृषि अनुभाग-5,उत्तर प्रदेश शासन।
11. शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।